लोक सुनवाई का वृत

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 04 लेन बाकरपुर–मानिकपुर सेक्सन के निर्माण हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 23.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार, प्रखंड कार्यालय, सरैया, जिला–मुजफ्फरपुर में अपर समाहर्त्ता महोदय, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में लोक–सुनवाई की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/2/2023-IA.III, dated 21.02.2023 के आलोक में लोक–सुनवाई की गयी। लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिदुस्तान के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 22.08.2023 को Miking द्वारा भी लोक–सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। प्रभावित क्षेत्र के मुखिया के माध्यम से भी लोक–सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा भी लोक–सुनवाई के उद्देश्य तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार मोईद अहमद ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित राजमार्ग मुजफ्फरपुर जिले के 06 गाँव से होकर गुजरती है। वर्तमान परियोजना का दायरा मुजफ्फरपुर जिले के अबूचक गाँव चैनेज–0.000 से चैनेज–38.813 मानिकपुर गांव के पास मुजफ्फरपुर जिले में एसएच–74 में विलीन हो जाती है। मुजफ्फरपुर जिले में 35.360 से 38.813 किमी तक गुजरेगी। यह एक हरित क्षेत्र संरेखण है।

प्रस्तावित सड़क परियोजना का मुख्य उदेद्श्य बिहार राज्य में दूरी और यात्रा के समय को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को जोड़ना है। यह परियोजना क्षेत्रों के विकास एवं इससे संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराती है।

इस परियोजना के अनेकों लाभ हैः–

- बाकरपुर–मानिकपुर खंड NH-139W टर्मिनल का हिस्सा है, यह NH-727 से जुड़कर समाप्त हो जाएगा जो सीधे नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। यह राजमार्ग देश के अंदर माल ढुलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

- NH-139W राज्य की राजधानी पटना और अन्य जिलों को जोड़ता है और हाजीपुर, सारण, वैशाली, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से होता हुआ नेपाल सीमा की ओर जाता है।
- यह परियोजना फीडर मार्ग है जो पटना (राज्य की राजधानी) और बेतिया (प्रमुख शहर) के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न शहरों से जयप्रकाश हवाई अड्डे (पटना) को जोड़ेगी। यह दो NH (NH-19 और NH-727) के बीच एक लिंक रोड के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण पश्चिम बिहार की ओर यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा, सीतलपुर और लालगंज के बीच गंडक नदी पर कोई बड़ा पुल नही होने के कारण, इन क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और ज्यादा समय भी लगता है।
- कुछं महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल (गंडक नदी, हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर मेला, अशोक स्तंभ स्तूप, बुद्ध स्तूप, जैन मंदिर, महात्मा गांधी सेतु और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र) प्रस्तावित बाकरपुर–मानिकपुर संरेखण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

यह परियोजना राजमार्ग की प्रस्तावित लम्बाई (मुजफ्फरपुर जिला में) लगभग 3.453 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर जिला में कुल अधिग्रहित भूमि 15.6396 हेक्टेयर, प्रभावित वन भूमि 2.2246 हेक्टेयर है। संरेखण किसी वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से नहीं गुजरता है। परियोजना के दौरान मुजफ्फरपुर जिला में आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. (0), छोटे पुल (0), पुलिया–(08), अंडरपास (0) का निर्माण प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रू0 1344.46 करोड़ होगा।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)–परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाईन किया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित है:–

1. देशी वनस्पतियों और जीवों को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ वृक्षारोपण I.R.C.SP21 2009 के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनो तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामाग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामाग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को नियत्रंण उपकरणों से संचालित किया जाएगा। और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद से सहमति प्राप्त की जाएगी।

निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण सक्षम पदाधिकारी भू–अर्जन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास और स्थानांतरण (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 के उचित प्रावधानों और राज्य सरकार के संशोधनों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर लागू आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 1 अनुसार मुआवजे का निर्धारण, अनुसूचि 2 अनुसार पुनर्वास और स्थानांतरण सहायता का निर्धारण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव / मंतव्य इस प्रकार हैः–

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री विजय प्रसाद अबूचक, श्रीमति माया देवी अबूचक– मेरा जमीन बार–बार सरकार द्वारा ली जा रही है। सड़क बनने से इसके पास का भी जमीन बर्बाद होगी। यह क्षेत्र वायु प्रदूषण एवं ध्वनि से प्रभावित होगी। तेज गति से वाहनों के चलने के कारण दुर्घटनाए होगी। इनके द्वारा अंडर पास नही दी जाती है। पुरानी सड़क को ही क्यों नहीं चौड़ा किया जा रहा हैं। भूमिहीन होने वाले बच्चे को नौकरी भी नही है।	अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सरैया द्वारा श्री विजय प्रसाद एवं अन्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उतर विस्तृत रूप में देते हुए उपस्थित अन्य लोगों को भी समझाया गया कि जब विकास होता है, तो उसमें कुछ लोगों को त्याग भी करना पड़ता है। किसी भी दिशा से सड़क गुजारा जाये, वहाँ भी किसी व्यक्ति का जमीन और मकान एलाईमेन्ट में अवश्य पड़ेगा। परियोजना किसी व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात करते हुए तैयार नही किया जाता है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए राजमार्ग द्वारा जगह–जगह पर साईन बोर्ड एवं आवश्यक दिशा निर्देश सूचक चिन्ह दिये जाते है, जिसका अनुपालन नहीं करने पर ही दुर्घटना सम्भव है।
2.	श्री गुड्डू कुमार अबूचक, श्री जय प्रकाश गुप्ता अबूचक, श्री पंकज कुमार अबूचक, श्री राजेन्द्र राय अबूचक– वर्तमान परियोजना के कारण कुछ किसान भूमिहीन हो जायेंगे। इस क्षेत्र में सर्वे नही हुआ है, जिसके कारण दी जा रही सूचना गलत है। जमीन का सही कीमत तय की जायें। वर्तमान	इस संबंध में परियोजना के सलाहकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशक द्वारा सूचना दी गयी की क्षेत्र में सर्वे का कार्य किया गया है एवं तैयार की गयी डाटा वह कार्यालय में बैठकर नही किया गया है। जमीन का प्रकार एवं उसका मूल्य जिला के भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों

	जमीन आवासीय होना चाहिए, जबकि भीठ दर्शाया गया है।	के तहत् ही किया जाता है। असंतुष्ट व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर जिला के वरीय पदाधिकारी के पास भी प्रतिवेदन दे सकते है।
3.	श्री हरेन्द्र भगत विरपुर एवं श्री अशोक राय वैशाली– इनके द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र एक ब्लू होटल को बचाने के लिए सड़क का एलाईनमेन्ट पूरब की तरफ बढ़ा दिया गया है।	इस संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा उपस्थित पदाधिकारी एवं जन समुदाय को अवगत कराया गया कि कोई भी परियोजना एक व्यक्ति विशेष के स्वार्थ पूर्ति के लिए करोड़ों रूपये का अनावश्यक खर्च का बोझ सरकार को नहीं देगी। इससे संबंधित निर्णय उच्च पदाधिकारियों के समूह द्वारा लिया जाता है। उक्त होटल का एलाईनमेन्ट से बचने का मुख्य कारण यह भी है कि सड़क की चौड़ाई 60 मीटर के जगह 45 मीटर की गयी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यह परियोजना मुजफ्फरपुर जिले के अबूचक गाँव से मानिकपुर गांव के पास मुजफ्फरपुर जिले में एसएच–74 में मिलेगी। यह एक ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट है, जो मुख्य आवादी से हट कर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। सरकार जमीन अधिग्रहण करती है एवं मुआवजा देती है। मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार दी जाती है। मुआवजा हेतु अलग से कैंप लगाकर भूमि विवाद को सुलझाया जायेगा। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक/समाजिक विकास के लिए एवं सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जाएगा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बताये गये उपायों को सुनिश्चित कराई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

18/9/2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, मुजफ्फरपुर

18/9/23
अपर समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

उपस्थिति सूची

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण, सारण जिला के बाकरपुर गांव से मुजफ्फरपुर जिला के मानिकपुर गांव तक (कुल लम्बाई 38.813 किमी) का निर्माण से संबंधित लोक–सुनवाई दिनांक 23.08.2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे, मिटिंग हॉल, प्रखण्ड कार्यालय, सरैया, जिला–मुजफ्फरपुर में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अपर समाहर्ता	मुजफ्फरपुर	[illegible] 23/8/23
2.	एस. एन. ठाकुर	क्षेत्रीय पदाधिकारी भा० रा० प्र० नि० पर्यवे० पुना	[illegible] 23/8/2023
3.	शत्रुंजय कुमार सिंह	B.D.O. Saraiya	[illegible] 23.08.2023
4.	PUNEET KUMAR	Manager (Tech) NHAI PIU- Motihari	Puneet Kumar 23.08.2023
5.	प्रणीत कुमार	NHAI PIU-motihari	Praneet Kumar 23.08.2023
6.	MOEED AHMED	Consultant, NHAI (LASA)	[illegible] 23.08.2023
7.	Gourav Tiwari	Consultant, NHAI (LASA)	[illegible] 23/08/2023
8.	Pradeep Tyagi	NHAI Representative	Tyagi
9.	Rahul Kumar	LA Expert	[illegible] 23/8/23
10.	Prabir Saha	Lasa, ME,	[illegible]
11.	D. Chhabra	LASA, New Delhi	[illegible]

12.	प्रभुनिराई	आभूचक	[signature]
13.	शिवशंकर यादव	मानिकपुर	[signature]
14.	संतोष राय	मानिकपुर	संतोष राय
15.	Suresh Kumar	मानिकपुर	Suresh Kumar
16.	श्याम कुमार राय	पिपरा गौस	Syamkumar [signature]
17.	रंजीत राय	पिपरा गौस	रंजीत राय
18.	नागिया राम	पिपरा गौस	नागिया राम
19.	राम मिलन राम राय	पिपरा गौस	राम मिलन राम राय
20.	पांच राम राय	पिपरा गौस	पांच राम राय
21.	लखन राय	पिपरा गौस	लखन राय
22.	सुरेन्द्र राय	पिपरा गौस	सुरेन्द्र राय
23.	प्रभुनन्द साह	आभूचक	प्रभुनन्द साह
24.	सुशीला देवी	आभूचक	सुशीला देवी
25.	माया देवी	आभूचक	माया देवी
26.	रेखा देवी	आभूचक	रेखा देवी

27.	विरेन्द्र राय	पीपारा	
28.	नागा राय	पीपारा	
29.	राजेश कुमार साह	पीपरा +मानिकपुर	राजेश कुमार
30.	चन्देश राय	पीपरा	चन्देश राय
31.	ललन राम	"	ललन राम
32.	मनोज राय	पिपरा गौश	
33.	सुनील कुमार		
34.	हरेन्द्र राय	पिपरा	
35.	हिमांशु राज	अमुचक	हिमांशु राज
36.	अमोद राय	पिपरा गौस	अमोद राय
37.	सुनिल राम	पिपरा गौस	
38.	पप्पु साह	अमुचक	
39.	मुकेश राय	पीपर	मुकेश राय
40.	हरिन्दर राय	पीपरा	हरिन्दर राय
41.	VIJAY PRASAD	ABHUCHAK	V.P.

42.	उमेश लाल साह	मनिकपुर चौक	9939290522
43.	सीता देवी	मनीकपुर	9006187380
44.	रामप्रवेश शर्मा	सरैया	9931967045
45.	पंकज कुमार	अमुचक	9693288875
46.	शीव अदालत	जलालपुर	8873987538
47.	कलानन्दन राय	पीपड़ा गोस	9708840667
48.	जयकिशोर राम	पिपड़ा गोस	9934026495
49.	रामशंकर राम	मनिकपुर	8603415493
50.	सुमन महतो	मानिकपुर	6205035259
51.	अर्जुन ठाकुर	मनिकपुर	8709821755
52.	शिवनाथ भगत	बिरपुर	7294016118
53.	जलन्धर राय	पीपड़ा	
54.	रामेश्वर	आनन्दपुर	8161147940
55.	राम बाबू राय	मनिकपुर	8757137519
56.	मुकेश कुमार	अमुचक	8292265243

290522

57.	संजय राय	पिपरा गौस	9905294831
58.	रमेश कुमार यादव	पिपरा गौस	7975650911
59.	जयमंगलराय	मनिकपुर	7667094482
60.	हरेन्द्र राय	पिपरा गौस	
61.	सुनीता भगत	आनन्दपुर	9507790815
62.	सचिन्द्र भगत	आनन्दपुर	9954530741
63.	राजमंगलपाण्डेय	आनन्दपुर	7368038554
64.	विकाश कुमार	पिपरा गौस	8294977625
65.	शशि कुमार	पिपरा गौस	7320890514
66.	सोनू कुमार	पिपरा गौस	9523476841
67.	Ashutosh yadav	पिपरा गौस	913546592
68.	Ashok Ray	मानिकपुर	6203333174
69.	Sri Kishan Thakur.	Abbuchak.	9798279928
70.	राजेन्द्र राय	मानीकपुर	9708345964
71.	राजनन्दन राय	अमुचक	7484918366

रामपुकार राय अमुचक 6204672712

72.	Kundan Kumar	Anandpur	9523465393
73.	रंजीत कुमार	आनंदपुर	8340360351
74.	राजकिशोर राय	मनिकपुर	7070153864
75.	रामशरण कुशवाहा	वीरपुर	7677571654
76.	राम नवल साहि		
77.	मोहन राय	अमूचक	9925324120
78.	रविकुमार राय -	अमूचक -	8210522124
79.	राजमंगल राय	मनिकपुर	9931630452
80.	कैलाश राम	पीपरा	7325067815
81.	Nitesh Kumar	पिपरा गौस	6206438714
82.	राकेश कुमार	पिपरा गौस	6283942123
83.	Himesh Ku.	पिपरा गौस	9153235118
84.			
85.			
86.			